

अचल सम्पति अन्तरण दस्तावेज (तबदील मलकियत) (पारिवारिक रिश्ता)

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग के आदेश दिनांक 16, जून 2014 के अनुसार स्टाम्प शूल्क से छुट है।

.....का/ /की हूं
जो कि कृषि भूमि खेवट न0खाता न0.....मुस्तील न0.....किला न0

.....कुल रकबा

.....कनाल.....मरले/विघा/विस्वा का.....भाग रकबा.....कनाल

.....मरले/विघा/विस्वा वाका मोजातहसील व जिला.....मेरी अपनी
इन्तकाल न0व जमाबन्दी साल.....अनुसार मलकियत है। जो हर प्रकार
के भार से पाक व साफ है। जिस पर मैंने कोई भी कर्ज सरकारी अर्ध सरकारी या गैर सरकारी बैंक या
संस्था किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों से नहीं लिया हुआ है भार मुक्त है। यह है कि श्री/श्रीमती

.....मेरे
पारिवारिक रिश्ते मे.....लगते हैं। उपरोक्त लिखित भूमि तमाम
मालकाना अधिकारों सहित जो मुझे उक्त भूमि मे प्राप्त है को उपरोक्त वर्णित श्री/श्रीमती

.....को अंतरण (तबदील) करना चाहते/चाहती हूं। भूमि उपरोक्त वर्णित
का अंतरण (तबदील) का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः मैं अपने होशो हवास खुद रजामन्दी बिना किसी
के सिखाये बहकाये उपरोक्त भूमि मे मुझ/हमें बतौर मालिक हक हासिल है, के सभी अधिकार बिना
प्रतिफल के बिना कोई धन राशि अर्जित किये अपने सभी मालिकान हक उपरोक्त वर्णित भूमि को
श्री/श्रीमती

.....को अंतरण (तबदील) कर दिया है। आज के बाद अंतरण शुदा भूमि से मेरा या मेरे किसी भी
उत्तराधिकारी का कोई ताल्लूक वास्ता नहीं रहा है। अंतरण (तबदील) शुदा भूमि मे किसी प्रकार का कोई
नुक्स या हर्ज पाया जावे या किसी कानूनी या वाकयाति त्रुटि के कारण अंतरण प्राप्तकर्ता के स्वामित्व से
निकल जावे तो उसका मैं/हम स्वयं जिम्मेवार हुंगा/होगे। इस प्रकार अंतरण ग्रहणकर्ता भूमि उपरोक्त
लिखित का पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी हो गया है। जिसे वह किसी भी प्रकार से चाहे इस्तेमाल कर
सकेगा। उसे आगे अंतरण (तबदील) करने का भी उसे पूर्ण अधिकार हासिल होगा। कब्जा मौका पर
अंतरण प्राप्तकर्ता का मालकाना असल करा दिया है। रिकार्ड माल मे अंतरण शुदा भूमि ग्रहणकर्ता के नाम
तबदील किये जाने मे मुझे/हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अतः यह अंतरण लेख (तबदील मलकियत)
कृषि भूमि नियमानुसार निष्पादित कर दिया है ताकि प्रमाण रहे। जिस पर मैंने/हमने पढ़ कर/सुनकर व
समझ कर हस्ताक्षर/अंगुठा किये हैं। आजदिनांक

अंतरण कर्ता

प्राप्तकर्ता

गवाह

गवाह